आधुनिक भारतीय प्रशासन के शिल्पी लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल

डॉ रंजना सी धोलकिया

आसिस्टंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग

समाजविधा भवन

गुजरात युनिवर्सिटी अहमदाबाद

प्रस्तावना:

भारत की आज़ादी के बाद नवगठित राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी–एक सक्षम, ईमानदार और अनुशासित प्रशासनिक तंत्र का निर्माण। ब्रिटिश शासन में नौकरशाही का उद्देश्य जनता-हित नहीं, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता की मजबूती था। इस व्यवस्था को बदलकर एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन बनाना अत्यंत आवश्यक था। स्वतंत्रता के समय भारत एक विशाल राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेज़ी शासन की प्रशासनिक संरचना, विभाजन से उपजे संकट, सैकड़ों रियासतों का एकीकरण, शरणार्थियों का पुनर्वास, भीतरी सुरक्षा की चुनौतियाँ, आर्थिक अस्थिरता और संस्थागत ढाँचे का अभाव–इन सभी परिस्थितियों ने तत्काल और दृढ़ प्रशासनिक सुधारों की माँग की थी। ऐसे कठिन दौर में भारत के उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने न केवल **प्रबुद्ध निर्णय क्षमता, कठोर प्रशासनिक अनुशासन,** और **संगठित व व्यावहारिक नेतृत्व** का परिचय दिया, बल्कि उन्होंने भारत की प्रशासनिक संरचना को स्थायी रूप से आकार देने वाले कई सुधार किए। भारत के आधुनिक प्रशासनिक ढाँचे की नींव जिन महान नेताओं और राष्ट्रनिर्माताओं ने रखी, उनमें लौहपुरुष **सरदार वल्लभभाई पटेल** का स्थान सर्वोपरि है। प्रायः उन्हें भारत की एकता के निर्माता और रियासतों के एकीकरण के सूत्रधार के रूप में स्मरण किया जाता है, परंतु राष्ट्र-निर्माण का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ–**प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण और सुधार**–मुख्यतः **सरदार** पटेल के ही निर्देशन में हुआ।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय प्रशासन को केवल पुनर्गठित ही नहीं किया, बल्कि उसे अनुशासन, जवाबदेही, और नैतिकता के ऐसे सिद्धांतों पर आधारित किया जो आज भी भारतीय शासन की नींव हैं। उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि नौकरशाही यदि ईमानदार और राष्ट्रनिष्ठ होगी तो ही लोकतंत्र सफल होगा। भारत का आधुनिक प्रशासन चाहे वह **भारतीय प्रशासनिक सेवा** संरचना हो, **भारतीय पुलिस सेवा** की तटस्थता, रियासतों का प्रशासनिक समन्वय, या भ्रष्टाचार-निरोधक संस्कृति–सभी में सरदार पटेल की अमिट छाप है। सरदार पटेल का प्रशासनिक दृष्टिकोण केवल अपने समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भारत के शासन-तंत्र को मार्गदर्शन देने वाला सिद्धांत बन गया।

स्वतंत्रता-पूर्व प्रशासनिक पृष्ठभूमि और सुधारों की आवश्यकता

भारत की आज़ादी के समय प्रशासनिक तंत्र का ढाँचा अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित था। यह ढाँचा मुख्यतः उपनिवेशवादी नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। **प्रशासन में भारतीयों की अत्यल्प भागीदारी** थी भारतीय सिविल सेवा में भारतीय बहुत कम थे। प्रशासनिक नीतियाँ आम जनता से दूर थीं और जवाबदेही लगभग न के बराबर थी। **प्रशासन का औपनिवेशिक चरित्र था -मतलब की उपनिवेश पर शासन के लिए बनाई गई व्यवस्था, जो लोककल्याण की बजाय आर्थिक शोषण पर केंद्रित था ।** जनसेवक की भूमिका 'शासक' जैसी थी। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे के लिए यह मानसिकता बाधक थी। **प्रशासनिक परंपराएँ 580** से अधिक रियासतों में अलग कानून, अलग शासन-व्यवस्था और अलग नौकरशाही मौजूद थी। इस स्थिति में सरदार पटेल ने प्रशासन के **पुनर्गठन, समानिकरण,** और **भारतीयकरण** को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

प्रशासनिक सुधारों में सरदार पटेल का दृष्टिकोण

सरदार पटेल के प्रशासनिक सुधारों का दृष्टिकोण केवल तकनीकी या संरचनात्मक नहीं था, बल्कि राष्ट्रवादी, व्यावहारिक और दूरदर्शी था। वे जानते थे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में प्रशासन यदि मजबूत, तटस्थ और पेशेवर न हो, तो लोकतंत्र स्थिर नहीं रह सकता।

उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा–विशेषकर अखिल भारतीय सेवाएँ, राजकोषीय अनुशासन, रियासतों का प्रशासनिक समन्वय, पुलिस सुधार, और प्रशासनिक नैतिकता–आज भी भारतीय प्रशासन की नींव पर मजबूती से कायम हैं। सरदार पटेल का प्रशासनिक दृष्टिकोण आधुनिक भारत के शासन-व्यवहार, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। पटेल का प्रशासनिक दृष्टिकोण तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित था–1. अनुशासन 2. जवाबदेही 3.नैतिकता। उन्होंने इन मूल्यों को भारतीय नौकरशाही में स्थापित करने के लिए कई संस्थागत और नीतिगत सुधार किए।

1. अनुशासन:

सरदार पटेल नौकरशाही को "देश की स्टील फ्रेम" मानते थे। उनका मत था कि एक अनुशासित प्रशासनिक प्रणाली ही नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकती है। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं– **भारतीय प्रशासनिक सेवा** और **भारतीय पुलिस सेवा** –को संविधान के अनुच्छेद 312 के माध्यम से संरक्षित स्थान दिलाया, ताकि राजनीतिक दबाव उनके कार्यों को प्रभावित न कर सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कर्तव्य-परायणता, समयबद्धता और नियमों का कड़ाई से पालन प्रशासन की मूल शर्तें हैं। रियासतों के एकीकरण के समय **सरदार** पटेल ने अनुशासित प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर दिखाया कि प्रशिक्षित और स्थिर अधिकारी तंत्र बिना कठोर अनुशासन के कार्य नहीं कर सकता।

2. जवाबदेही:

सरदार पटेल ने प्रशासन को जनता और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि अधिकारियों की जवाबदेही केवल सरकार के प्रति नहीं, बल्कि देश और संविधान के प्रति है। उन्होंने सिविल सेवकों को यह चेतावनी भी दी कि नौकरशाही का काम शासन चलाना है, राजनीति करना नहीं। उन्होंने ऐसे संस्थागत प्रावधान मजबूत किए जिनसे अधिकारियों के आचरण की निगरानी और मूल्यांकन संभव हो सके। राज्यों में एकरूप प्रशासनिक ढांचा, वित्तीय जवाबदेही की व्यवस्थाएँ और सेवा शर्तों की स्पष्टता इसी नीति का हिस्सा थीं।

3. नैतिकता:

सरदार पटेल ने प्रशासनिक नैतिकता को सबसे अधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि ईमानदारी, निष्पक्षता और सार्वजनिक हित में निर्णय-क्षमता ही अच्छे शासन की नींव हैं। उन्होंने ब्रिटिश कालीन नौकरशाही की औपनिवेशिक मानसिकता को हटाकर सेवाभाव और सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने पर बल दिया। **सरदार** पटेल का कथन था– "सिविल सेवक को न डरना चाहिए, न झुकना चाहिए–उसे केवल राष्ट्रहित में काम करना चाहिए।" यह दृष्टिकोण आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की नैतिक आचार-संहिता का आधार माना जाता है।

4. राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति:

सरदार पटेल ने प्रशासन और राजनीति के बीच संतुलन के सिद्धांत को दृढ़ता से स्थापित किया। उनका आग्रह था कि राजनीतिक नेतृत्व नीतियाँ बनाए, पर प्रशासनिक अधिकारी उन्हें निष्पक्ष रूप से लागू करें। अधिकारी किसी राजनीतिक दल का उपकरण न बनें, यह उनकी प्रशासनिक सोच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसी कारण उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा को संविधान में दर्ज कराया। सरदार पटेल ने भारतीय नौकरशाही को वह रूप दिया जो एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक था। उनके सुधारों के तीन स्तंभ–अनुशासन, जवाबदेही, और नैतिकता–आज भी भारतीय प्रशासन की आधारशिला हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सक्षम प्रशासन ही स्थिर लोकतंत्र और मजबूत राष्ट्र का प्रमुख आधार है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना

अंग्रेज़ों के शासन में भारतीय सिविल सेवा को 'स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया' कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसे समाप्त करने की माँग उठी। परंतु सरदार पटेल का दृष्टिकोण इससे भिन्न था। सरदार पटेल का तर्क था की - "यदि आप सर्व-भारतीय सेवाएँ समाप्त कर

देंगे, तो देश का एकीकरण और प्रशासनिक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी।" इसलिए उन्होने स्वतंत्र भारतमें भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर नई सर्व-भारतीय सेवाएँ शुरू की थी । भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना करके राष्ट्र के लिए नया स्टील फ्रेम उपलब्ध किया। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन किया, जो आज भी केंद्रीय और राज्य प्रशासन की रीढ़ मानी जाती है। कानून-व्यवस्था की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना की। यह पुलिस प्रणाली को एकीकृत और पेशेवर बनाने का बड़ा कदम था। सरदार पटेल ने संविधान सभा में सिविल सेवाओं को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा: *"आप देश को बर्बाद कर देंगे यदि आप इन सेवाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन कर देंगे।"*

सिविल सेवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और पदस्थापन के लिए स्पष्ट तंत्र -

सरदार पटेल ने संघ लोक सेवा आयोग को प्रशासनिक भर्ती का सर्वोच्च स्वतंत्र निकाय बनाया। प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और सशक्तिकरण करवाया। पारदर्शी पदस्थापन और पदोन्नति प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आज भी भारतीय प्रशासन के सर्वाधिक सम्मानित स्तंभ बने हुए हैं। रियासतों का राजनीतिक एकीकरण जितना बड़ा कार्य था, उतना ही कठिन उनका प्रशासनिक एकीकरण भी था। 580 रियासतों में अलग-अलग प्रशासनिक संरचनाएँ थीं। सरदार पटेल ने निम्न सुधार किए–

सरदार पटेलने अलग कानूनों और संस्थाओं को एकीकृत किया। प्रांतों और रियासतों के बीच प्रशासनिक असमानता को समाप्त किया। राजदरबारों की न्याय व्यवस्था को समाप्त करके आधुनिक न्यायालय प्रणाली लागू की। भूमि राजस्व, पुलिस, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों को एकरूप बनाया। नए राज्यों और जिलों की प्रशासनिक संरचना तैयार किया । मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ आदि नए प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन किया । संयुक्त

प्रशासनिक समितियों का गठन किया । अधिकारियों की तैनाती और प्रशासनिक ढाँचे को स्थिर किया । सरदार पटेल ने सामंतवादी और जमींदारी संरचना का उन्मूलन किया । स्वत्वाधिकार खत्म करने, किसानों की सुरक्षा तथा भूमि प्रशासन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों को सीमित कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित किया।

कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में सुधार

स्वतंत्रता के समय देश साम्प्रदायिक दंगों, शरणार्थी संकट और विभाजन-जनित हिंसा से ग्रस्त था। सरदार पटेल ने इन संकटों से उबरने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए–जैसे की सरदार पटेलने **पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन किया।** दंगों और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आपात पुलिस इकाइयाँ बनाईं। शांति बहाल करने के लिए व्यापक कमांड-एंड-कंट्रोल ढाँचा विकसित किया। पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर ज़ोर दिया। **खुफिया एजेंसियों को सशक्त बनाने के लिए** इंटेलिजेंस ब्यूरो का पुनर्गठन किया । सीमा सुरक्षा और आंतरिक खुफिया तंत्र को मजबूत किया। **साम्प्रदायिक हिंसा रोकने हेतु कठोर कदम उठाये** । दिल्ली पंजाब और बंगाल में विशेष सुरक्षा बलों की तैनात किये थे। शरणार्थियों की रक्षा के लिए विशेष प्रशासनिक ज़ोन बनाए। साम्प्रदायिक अपराधों पर त्वरित दंड की व्यवस्था विकसित की। नेहरू और सेना प्रमुख के साथ मिलकर पटेल ने कश्मीर संकट, हैदराबाद और जूनागढ़ ऑपरेशनों में प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया।

नौकरशाही में निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता

सरदार पटेल की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने भारतीय नौकरशाही को राजनीतिक दबाव से दूर रखा। उनका कहना था-"यदि नौकरशाही राजनीतिक दवाब में आ गई, तो प्रशासन की रीढ़ टूट जाएगी।" इसलिए उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जिससे - वे राजनीतिक दबाव में न आएँ, निर्णय लेते समय स्वतंत्रता रखें, और प्रशासन में निरंतरता बनी रहे।यह सिद्धांत आज भी भारतीय प्रशासन का आधार है।

स्थानीय प्रशासन के सुधार

सरदार पटेलने नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को सक्रिय किया । गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान वर्षों तक स्थानीय निकायों का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उनकी संरचना को राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूती दी। उन्होंने गाँधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप पंचायतों को ग्रामीण शासन की प्राथमिक इकाई के रूप में मान्यता दी। नगर शासन की वित्तीय प्रणाली का सुधार किया और इस तरह कराधान, बजट योजना और लेखा प्रणाली की एकरूपता विकसित की। स्थानीय निकायों में दक्ष और प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करवाई। शहरी योजना और नगर प्रशासन का आधुनिकीकरण किया। आज़ादी के बाद दिल्ली के पुनर्वास, साफ-सफाई, जल-व्यवस्था और परिवहन प्रशासन में सरदार पटेल का योगदान महत्वपूर्ण था।

शरणार्थी पुनर्वास और प्रशासनिक प्रबंधन

SHABDBRAHM

विभाजन के कारण लाखों लोग बेघर हो गए थे। इसका प्रशासनिक प्रबंधन इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था।

सरदार पटेल के प्रमुख प्रशासनिक कदम–

सरदार पटेलने दिल्ली में शरणार्थी शिविरों का संगठन की रचना की। सुरक्षित आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए त्वरित प्रशासनिक ढाँचा स्थापित किया। संपत्ति प्रबंधन के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढाँचा बनाया। उसके अंतर्गत विस्थापित संपत्ति कानून का निर्माण, संपत्तियों का न्यायसंगत वितरण और पुनर्वास नीतियों का क्रियान्वयन हुआ। उन्होंने सख्त प्रशासनिक निर्णय लेकर दंगों और हिंसा पर नियंत्रण करके दिल्ली को स्थिर किया

राजकोषीय और आर्थिक प्रशासन में सुधार

सरदार पटेल भारत के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख शिल्पी माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक व राजकोषीय स्थिति अत्यंत जटिल थी–565 रियासतों का एकीकरण, विभाजन

के आर्थिक दुष्परिणाम, तथा प्रशासनिक अव्यवस्था जैसी चुनौतियाँ सामने थीं। ऐसे समय में **सरदार** पटेल ने आर्थिक और राजकोषीय प्रशासन को स्थिर करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए।

सबसे पहले,रियासतों के एकीकरण के साथ उनके राजस्व स्रोतों, कर प्रणाली और वित्तीय ढांचे को भारतीय संघ में समाहित करना एक बड़ी चुनौती थी। **सरदार** पटेल ने दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देते हुए इन रियासतों में एक समान राजस्व प्रशासन लागू करवाया। भूमि राजस्व, कर संग्रह और स्थानीय वित्तीय संस्थाओं को कानून-संगत ढांचे में शामिल करना उनके प्रयासों का हिस्सा था। दूसरा की उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का गठन सुनिश्चित किया। इन अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में एकरूपता, क्षमता और भ्रष्टाचार-निरोधक व्यवस्थाएँ स्थापित हुईं। वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षित और तटस्थ सिविल सेवकों ने देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत नींव दी।

SHABDBRAHM

इसके अलावा, **सरदार** पटेल ने राजकोषीय अनुशासन पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्र के बीच समन्वित वित्तीय संबंधों को विकसित किया। उनका मानना था कि आर्थिक प्रशासन तभी प्रभावी होगा जब राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, पेशेवर और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए। संक्षेप में, सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए भी निर्णायक प्रशासनिक सुधार किए, जिनकी वजह से आज की भारतीय आर्थिक संरचना मजबूत बुनियाद पर खड़ी है

संविधान निर्माण में प्रशासनिक सुधारों की भूमिका

संविधान निर्माण के समय इस प्रशासनिक पुनर्गठन का नेतृत्व मुख्यतः सरदार पटेल ने किया, उपप्रधानमंत्री व गृह मंत्री के रूप में तथा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में **सरदार** पटेल ने भारत के प्रशासनिक ढाँचे की नींव रखने में निर्णायक

भूमिका निभाई। पटेल ने संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रावधानों का नेतृत्व किया–

सरदार पटेल ने सर्वप्रथम सर्व-भारतीय सेवाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाया। स्वतंत्रता के समय कई सदस्यों ने ब्रिटिशकालीन भारतीय सिविल सेवा जैसी सेवाओं को समाप्त करने की माँग की, परंतु **सरदार** पटेल ने तर्क देते हुए कहा कि "देश की एकता और प्रशासनिक स्थिरता के लिए एक पेशेवर, निष्पक्ष और अखिल-भारतीय चरित्र वाली सिविल सेवा अनिवार्य है।" उनके नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संवैधानिक मान्यता दिलाई गई। यह भारत के प्रशासनिक इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इससे प्रशासन में एकरूपता, पेशेवरता और स्थिरता सुनिश्चित हुई।

द्रीतिय, सरदार पटेलने केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संतुलन बनाए रखा। संविधान सभा में संघीय ढाँचे पर बहस के दौरान सरदार पटेल का विचार था कि भारत जैसी विविधतापूर्ण और विशाल देश को एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक विषयों के विभाजन–केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची–की रूपरेखा को मजबूत समर्थन दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गृह मंत्रालय, सुरक्षा, संचार, निर्वाचन और अखिल-भारतीय सेवाएँ केंद्र के नियंत्रण में रहें, ताकि देश की अखंडता सुरक्षित रह सके।

तृतीय, रियासतों के एकीकरण के बाद सरदार पटेलने प्रशासनिक ढाँचे का पुनर्गठन किया । 580 से अधिक रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के बाद संविधान में उनके प्रशासनिक ढाँचे का समायोजन अत्यंत जटिल कार्य था। पटेल ने वी.पी. मेनन के साथ मिलकर इन रियासतों के लिए Part B States की अवधारणा तैयार कर संविधान में उचित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की।

चोथा, सरदार पटेल ने सिविल सेवकों की स्वायत्तता और सुरक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा–"यदि आप सिविल सेवाओं को राजनीतिक दबाव में दे देंगे, तो यह देश के

लिए विनाशकारी होगा।" उनके आग्रह पर संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए कि अधिकारियों को मनमानी हटाया न जा सके, जिससे प्रशासन में निष्पक्षता और निरंतरता बनी रहे।

पांचवा, सरदार पटेलने प्रशासनिक न्याय, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक जवाबदेही का मजबूत ढाँचा प्रस्थापित किया और केंद्र-राज्य प्रशासनिक समन्वय के सिद्धांतों को संविधान में शामिल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप आज भारतीय संविधान में एक आधुनिक, संगठित और उत्तरदायी प्रशासनिक संरचना मौजूद है।

इस तरह संविधान निर्माण के दौरान सरदार पटेल के प्रशासनिक सुधारों ने भारत को एक मजबूत, एकीकृत और पेशेवर प्रशासन दिया।

सरदार पटेल की नेतृत्व-शैली:

सरदार पटेल की प्रशासनिक नेतृत्व शैली मे कठोर अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता का मिश्रण देख ने को मिलता है । वे प्रशासनिक ढिलाई को सहन नहीं करते थे, परंतु जनता के कष्टों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील थे। सरदार पटेल में त्वरित निर्णय-क्षमता थी - जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और शरणार्थी संकट पर उनके फैसले प्रशासनिक इतिहास के उदाहरण हैं। सरदार पटेल के नेतृत्व मे स्पष्ट संवाद और पारदर्शिता है, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की "देश सेवा सर्वोपरि है।"उनका दृष्टिकोण सिद्धांतवादी कम और परिणाममुखी अधिक था।

प्रशासनिक सुधारों का दीर्घकालिक प्रभाव

स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रशासनिक ढांचे को स्थिर, सक्षम और उत्तरदायी बनाने में सरदार पटेल के योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने न केवल रियासतों को एकीकृत किया बल्कि आधुनिक भारतीय नौकरशाही की संरचना, मर्यादा और नैतिक आधार भी तैयार किया। उनके सुधारों का प्रभाव दीर्घकाल तक भारतीय शासन-प्रणाली में दिखाई देता है। आज भारत का प्रशासनिक ढाँचा जिस रूप में काम कर रहा है, उसकी नींव पटेल के सुधारों में निहित है–

1. अनुशासित और तटस्थ नौकरशाही का निर्माण

सरदार पटेल 'स्टील फ्रेम' का सिद्धांत लेकर आए, जिसके अनुसार नौकरशाही को कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित कर इनके स्वतंत्र, तटस्थ और पेशेवर स्वरूप को मजबूत किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा देशभर में समान दक्षता के साथ शासन संचालन की रीढ़ बनी रही।

2. उच्च प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना

सरदार पटेल ने ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्रहित को नौकरशाही के मुख्य मूल्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे भय और पक्षपात से मुक्त रहकर निर्णय लें। इस दृष्टि ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही की एक मजबूत संस्कृति विकसित की, जिसका प्रभाव आज भी प्रशासनिक आचार-संहिता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

SHABDBRAHM

3. उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन की नींव

सरदार पटेल ने स्पष्ट नियम-आधारित कार्यप्रणाली और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा दिया। उनके सुधारों ने शासन में पारदर्शिता, सार्वजनिक विश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही की परंपरा को विकसित किया। इससे निर्णय-प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और जनहित-मुखी बनी।

4. स्थिर और निरंतर प्रशासनिक ढांचे का विकास

सरदार पटेल ने जो संस्थागत संरचना तैयार की, उसने भारत में राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखा। सरकारें बदलती रहीं, पर प्रशासनिक ढांचा स्थिर रहा—नीतियों का क्रियान्वयन बाधित नहीं हुआ। यह दीर्घकालिक स्थिरता भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का आधार बनी।

5. राष्ट्र-निर्माण में निर्णायक योगदान

सरदार पटेल के सुधारों ने एकीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन सुनिश्चित किया, जो नवप्राप्त स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने देश की विविधता के बीच एक समान प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, जिससे राष्ट्रीय एकता, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समरसता को बल मिला। उनकी दूरदृष्टि ने आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे को ऐसा रूप दिया, जो आज भी देश के सुचारु संचालन, विकास और लोकतांत्रिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सरदार पटेल ने भारतीय नौकरशाही में अनुशासन, जवाबदेही और नैतिकता के सिद्धांतों को संस्थागत रूप देकर प्रशासन को मजबूत और स्थिर दिशा दी। उनके सुधारों ने स्वतंत्र भारत को ऐसा प्रशासनिक ढांचा दिया जिसने राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद शासन-प्रणाली की निरंतरता और विश्वसनीयता बनाए रखी। आज भी भारतीय प्रशासनिक परंपरा का मूल चरित्र सरदार पटेल की ही प्रशासनिक दृष्टि का प्रतिफल है।

SHABDBRAHM

निष्कर्ष

सरदार पटेल केवल भारत के लौहपुरुष नहीं थे, बल्कि भारत के **प्रशासनिक शिल्पी** भी थे। उन्होंने जिस समर्पण, स्पष्टता, त्वरित निर्णय क्षमता और दूरदर्शिता के साथ प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, वह विश्व इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने देश को एक स्थिर, संगठित और पेशेवर प्रशासनिक ढाँचा प्रदान किया, जिसके बिना स्वतंत्र भारत का अस्तित्व, विकास और लोकतांत्रिक यात्रा संभव नहीं थी। भारत की एकता, कानून-व्यवस्था, सिविल सेवाओं की स्थापना तथा प्रशासनिक संरचना में उनका योगदान इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदैव अमर रहेगा।

संदर्भ सूची:

1. पटेल, वी. (*1950). Collected Speeches of Sardar Patel.*
2. Menon, V.P. (1956). *The Story of the Integration of the Indian States.*

3. Rajmohan Gandhi (1990). *Patel: A Life.*

4. संविधान सभा बहसें (1946-49).

5. Ministry of Home Affairs, Government of India - Archives.

6. Noorani, A.G. (2011). *The Constitutional History of India.*

7. Guha, Ramachandra (2007). *India After Gandhi.*

8. Sharma, B.L. (1960). *Indian Administration: From ICS to IAS.*

9. Indian Police Journal - Archives on IPS formation.

10. भारत सरकार: सिविल सेवा दस्तावेज़ (UPSC and MHA Reports).

11. गृह मंत्रालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा संबंधी अभिलेख

12. M.V. Kamath - *Sardar Patel and the Indian Bureaucracy*

13. भारत का संविधान, अनुच्छेद 312

14. **एम. वी. कामथ** – *सरदार पटेल और भारतीय नौकरशाही*

SHABDBRAHM